भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2020/CFP/2

New Delhi, dated 14.12.2023

The General Managers (P)
All Zonal Railways & Production Units, etc.
(As per standard list)

Sub: Amendment to para 179 (xiv) & (xv) of IREM, Vol.I

In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 182 of the Indian Railway Establishment Manual, Vol.I (Revised Edition 1989), First Re-print Edition, 2009 may be amended as per Advanced Correction Slip No. 285 enclosed.

Hindi version will follow.

Please acknowledge receipt.

Encl: ACS No. 285.

(Sanjay Kumar)

Deputy Director Estt. (N)

Railway Board Tele No. 23303658

तीसरा तल, कमरा नं. 359-A, रेल भवन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sanjay.kumar6@gov.in 3rd Floor, Room No.359-A, Rail Bhawan, New Delhi-110001

_____2__

No. E(NG)I-2020/CFP/2

New Delhi, dated 14.12.2023

Copy forwarded to:-

- 1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
- 2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
- 3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
- 4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
- 5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
- 6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
- 12. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PSs/MoSR(D), MOSR (J), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR

PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME-I (REVISED EDITION 1989, FIRST RE-PRINT EDITION, 2009) ADVANCE CORRECTION SLIP No.285

Chapter-1, Section-B, Sub-Section IV (Recruitment of Railway Servant in $GP \equiv 1800/\text{Level-1}$

₹ 18000-56900) of 7th CPC.

The existing para 179 (xiv) is amended to read as under:-

179 (xiv)- Vacancies in Level-1 in Workshops/ notified categories in Divisions should be filled in the manner indicated below:-

- (i) 90% by recruitment from open market including Apprentices trained under Apprentices Act;
- (ii) 10% of vacancies in workshops and in S&T, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Traffic & Commercial Department and Works side of Engineering Department in Divisions by transfer from amongst regular Track Maintainers, Assistant Depot (Stores) of the Stores Department and House Keeping Assistants of various departments with a minimum of 8 years service which will be further subject to following conditions;
- A. 10% of the proposed vacancies for recruitment in Level-1 (erstwhile Group 'D') of workshops and Signal & Telecom, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Traffic & Commercial Department and Works side of Engineering Department in the Divisions, will be clubbed to recruit equivalent number of Track Maintainer in addition to the intake of Track Maintainer decided for the Engineering Department. The lateral transfer will be undertaken as & when direct recruitment exercise is completed and stipulation of para (A) above have been adhered to.
- B. Trackmen in regular employment in Engineering Department should be laterally transferred to those Departments, whose 10% vacancies have been clubbed and utilized for recruitment of Trackmen. Other Departments will be allowed to induct fresh personnel for the residual 90% of vacancies, and also to the extent of deficiency not met through lateral transfer.
- C. A Track Maintainer in Level-2 possessing the required eligibility conditions, if desirous of moving to other Departments through lateral induction, will be allowed to do so, if he accepts reversion to Level-1.
- D. Applications for lateral transfer of Track Maintainers, Assistant of the Stores Department and House Keeping Assistants of various departments should be called for and applicants shortlisted on the basis of seniority, based on the length of the service.
- E. For transfer to other Departments Track Maintainers, Assistant Depot (Stores) and House Keeping Assistant of various Departments should be suitable in all respects i.e.
 - (a) Be literate;
 - (b) Possess physical standards prescribed for recruitment to that Department/ Workshop;

- (c) Have aptitude for work to which they are to be transferred; and
- (d) Must have put in at least 8 years regular service as Track Maintainer or other categories as specified in para D above.
- F. The suitable candidate would be considered as per their inter-se seniority after screening of applications invited solely for the purpose of lateral intake.
- (iii) In the event of non-availability of volunteers seeking lateral transfer under 10% quota, vacancies may be transferred to open market.
- (iv) Seniority: Staff who are transferred to other Departments against 10% quota [para 179(xiv)(ii) above] will count half the length of continuous service for seniority in the new cadre in which they are absorbed.

Para 179 (xv) is to be deleted.

(Authority: Railway Board's letter No. E(NG)I-2020/CFP/2 dated 14.12.2023)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)।-2020/सीएफपी/2

नई दिल्ली, दिनांक 14.12.2023

महाप्रबंधक (पी) सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां, आदि। मानक सूची के अनुसार

विषय: भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I के पैरा 179 (xiv) और (xv) में संशोधन।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I (संशोधित संस्करण 1989) के अनुच्छेद 182 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम पुनर्मुद्रण संस्करण, 2009 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 285 के अनुसार संशोधित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 285

उपनिदेशक स्था. (अराज.)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं. 23303658

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

- 1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
- 2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
- विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
- 4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
- 5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेलभवन, नईदिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
- 6. सचिव, आरबीएसएस समूह 'क' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 7. सचिव, आरबीएसएस समूह 'ख' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 9. सचिव, रेलवे बोर्ड समूह 'घ' इम्पलाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
- 12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्पलाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन क M 14.12.23 कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.स.)/रेलवे बोर्ड भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I (संशोधित संस्करण 1989, प्रथम पुनर्मुद्रण संस्करण, 2009) अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 285

अध्याय-1, खंड-ख, उप-खंड IV (7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के ग्रेड पे 1800 रुपये/स्तर-1 ₹ 18000-56900 में रेल कर्मचारियों की भर्ती)

मौजूदा पैरा 179 (xiv) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: -

179 (xiv) - कारखानों/ मंडलों में अधिसूचित कोटियों में स्तर-1 में रिक्तियों को नीचे निर्दिष्ट विधि से भरा जाना चाहिए:-

- (i) 90 प्रतिशत रिक्तियां बाहरी उम्मीदवारों से भर्ती द्वारा, जिनमें "प्रशिक्षु अधिनियम" के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षु शामिल हों;
- (ii) कारखाना और सिगनल एवं दूरसंचार, बिजली इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, यातायात और वाणिज्य विभाग और मंडलों में इंजीनियरी विभाग के निर्माण स्थलों में 10% रिक्तियाँ न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा वाले नियमित ट्रैक अनुरक्षकों, भंडार विभाग के सहायक डिपो (भंडार) और विभिन्न विभागों के हाउस कीपिंग सहायकों में से स्थानांतरण द्वारा भरी जाएगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा;
- क. कारखानों और सिगनल एवं दूरसंचार, बिजली इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, यातायात और वाणिज्यिक विभाग और मंडलों में इंजीनियरी विभाग के निर्माण स्थलों के स्तर-1 (पूर्ववर्ती समूह 'घ') में भर्ती के लिए प्रस्तावित 10% रिक्तियाँ इंजीनियरी विभाग के लिए निर्धारित किए गए ट्रैक अनुरक्षक की भर्ती के अतिरिक्त ट्रैक अनुरक्षक की समकक्ष संख्या में भर्ती करने के लिए जोड़ा जाएगा। जब सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ऊपर पैरा (क) के अनुबंधों का पालन किया जाएगा, तो पार्श्विक स्थानांतरण किया जाएगा।
- ख. इंजीनियरी विभाग में नियमित रूप से नियुक्त ट्रैकमैनों को बाद में उन विभागों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिनकी 10% रिक्तियों को एक साथ इक्ट्ठा किया गया है और ट्रैकमैनों की भर्ती के लिए उपयोग किया गया है। अन्य विभागों को शेष 90% रिक्तियों के लिए नए कर्मियों को और पार्श्विक स्थानांतरण के माध्यम से कमी पूरी न होने की सीमा तक भी भर्ती की अनुमित होगी।
- ग. आवश्यक पात्रता शर्तों वाला स्तर-2 में एक ट्रैक अनुरक्षक, यदि पार्श्विक भर्ती के माध्यम से अन्य विभागों में जाने का इच्छुक है, तो उसे ऐसा करने की अनुमित दी जाएगी, यदि वह स्तर -1 में प्रत्यावर्तन स्वीकार करता है।
- घ. ट्रैक अनुरक्षकों, भंडार विभाग के सहायक और विभिन्न विभागों के हाउस कीपिंग सहायकों के पार्श्विक स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे जाने चाहिए और सेवा अवधि पर आधारित वरिष्ठता के आधार पर आवेदकों की संक्षिप्त सूची तैयार की जानी चाहिए।
- ड. अन्य विभागों में स्थानांतरण के लिए ट्रैक अनुरक्षक, सहायक डिपो (भंडार) और विभिन्न विभागों के हाउस कीपिंग सहायक सभी प्रकार से उपयुक्त होने चाहिए अर्थात्
 - (क) साक्षर बनें;
 - (ख) उस विभाग/कारखाने में भर्ती के लिए निर्धारित वास्तविक मानक रखते हों;

- (ग) उस कार्य के लिए योग्यता रखते हों जिनके लिए उन्हें स्थानांतरित किया जाना है; तथा
- (घ) ऊपर पैरा घ में यथा निर्दिष्ट ट्रैक अनुरक्षक या अन्य कोटियों के रूप में कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा की होनी चाहिए।
- च. केवल पार्श्विक भर्ती के प्रयोजन के लिए आमंत्रित आवेदनों की संवीक्षा के बाद उपयुक्त उम्मीदवार पर उनकी परस्पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा।
- (iii) 10% कोटा के तहत पार्श्विक स्थानांतरण चाहने वाले इच्छुक उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, रिक्तियों को ओपन मार्केट में हस्तांतरित किया जा सकता है।
- (iv) वरिष्ठता: जिन कर्मचारियों को 10% कोटा के लिए अन्य विभागों में स्थानांतरित किया जाता है [ऊपर पैरा 179 (xiv) (ii)] उनकी नए संवर्ग में वरिष्ठता के लिए निरंतर सेवा की आधी अवधि की गणना की जाएगी, जिसमें वे समाहित होते हैं।

पैरा 179 (xv) को हटाया जाना है।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.12.2023 का पत्र सं. ई (एनजी)।-2020/सीएफपी/2)

A THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PROPERTY O